गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

BPRD

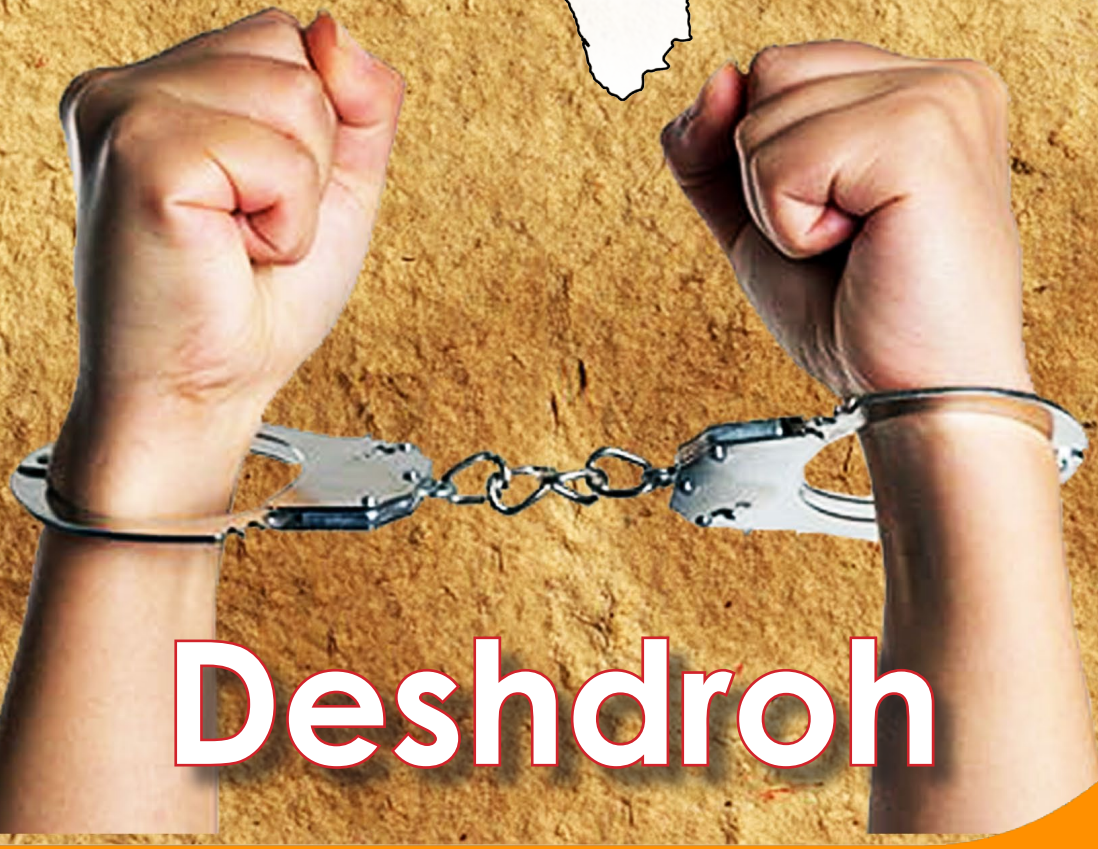

Deshdroh

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

BPRD

देशद्रोह

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

Upholding freedom of speech and expression, ensuring unity & integrity of the nation: A balanced approach to treason laws

♦A paradigm shift in treason laws

- The Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 marks a significant transformation in treason laws with Section 152 specifically targeting actions that threaten the sovereignty, unity, and integrity of India.

♦124A IPC (erstwhile law) versus Section 152 BNS (new law): 'Rajdroh' vs 'Deshdroh'

- There is a notable distinction between IPC Section 124A and BNS Section 152. While IPC Section 124A deals with acts "against the Government," BNS Section 152 shifts the focus to actions endangering the "sovereignty, unity, and integrity of India." Colonial interests replaced by needs of the democratic interests in Swatantra Bharat (Independent India).

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना: देशद्रोह कानूनों में एक संतुलित दृष्टिकोण

- **राजद्रोह कानूनों में एक आदर्श बदलाव:** भारतीय न्याय संहिता, 2023 धारा 152 के साथ देशद्रोह कानूनों के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करती है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों पर केंद्रित है।

- **124ए भारतीय दंड संहिता बनाम 152 भारतीय न्याय संहिता: राजद्रोह बनाम देशद्रोह**

– भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए 'सरकार के खिलाफ' कृत्यों को संबोधित करती है, जबकि भारतीय न्याय संहिता धारा 152 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता' को खतरे में डालने वाले कार्यों पर केंद्रित है। स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक हितों ने औपनिवेशिक हितों की जगह ले ली है।

– भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के मुताबिक सरकार के प्रति नफरत या अवमानना पैदा करने वाली अभिव्यक्ति अपराध में शामिल थी। लेकिन भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) धारा 152 सशस्त्र विद्रोह, विनाशकारी गतिविधियों, और अलगावादी गतिविधियों के लिए सजा देने का प्रावधान करती है जो भारत की अखंडता को प्रत्यक्ष रूप से खतरा पहुंचाने वाली दिखती है।

Under IPC Section 124A, expressions that caused hatred or contempt towards the Government were criminalised. However, BNS Section 152 punishes actions such as armed rebellion, destructive activities, and separatist activities, which are seen as direct threats to the integrity on india.

♦A shield for freedom of speech and expression

- Criticism of the Government policies and actions are not punished under the new law. The requirement of 'intent' in law further raises the threshold for applicability of the provision.

♦Balancing expression and protection

- The BNS 2023 strikes a balance by ensuring penal action against those whose activities threaten the nation, while also safeguarding the right to express opinions without the fear of prosecution. This balance is crucial in maintaining a democratic society.

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कवच

– नए कानून के तहत सरकारी नीतियों और कार्यों की आलोचना पर दंड का प्रावधान नहीं है। कानून में 'इरादें'की आवश्यकता को जोड़ा गया है जिससे प्रावधान की सीमा और विस्तृत हो गई है।

अभिव्यक्ति और संरक्षा के बीच संतुलन

– बीएनएस 2023 में सजा के भय के बगैर विचारों को व्यक्त करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उन गतिविधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाईयों को सुनिश्चित किया गया है जो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। यह संतुलन लोकतांत्रिक समाज को बरकरार रखने के लिए अहम है।